न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 95/18

पवन माहौर पुत्र रामरतन माहौर आयु 19 वर्ष निवासी मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

——-आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

----अनावेदक

14-03-2018

पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। आवेदक / अभियुक्त पवन की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री बीoएसo बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 32 / 18 अंतर्गत धारा-34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०सं० के साथ में आवेदक पवन माहौर के पिता रामरतन का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र०स० है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदक के विरूद्ध थाना मालनपुर ने सांठगांठ करके एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा आवेदक को दिनांक 11.02.18 को निरोध में लिया गया था तब से वर्तमान तक आवेदक निरोध में है। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

जभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 11.02.18 को आवेदक / अभियुक्त रामनिवास एवं पवन के आधिपत्य से हॉट लाईन फैक्ट्री के पीछे से सात कार्टून देशी शारब के, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 50 क्वाटर देशी शराब के थे कुल 350 क्वाटर देशी शराब कुल 63 बल्क लीटर देशी शराब जप्त की गई। इस प्रकार शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की परिस्थितियों, तथ्यों तथा अपराराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

्यः ति जि अभिलेखागा (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।